

18/02/26

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित।
 वादी भी अनुपस्थित। तीन बार एक-एक
 कर आवाज लगाई, लेकिन कोई भी
 उपस्थित नहीं हुआ। अतः प्रकरण को
 अन्तर्गत 09 R8 CPC अधिनियम धारा 105
 पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली
 फैसल कुमार होकर नम्बर से कम होकर
 बाद लगील दालिल इफ्तदार हो।



[Signature]
 18/02/26
 उपखण्ड अधिकारी
 पिड़ावा, जिला झारखण्ड (सजक)

